

राजस्थान सरकार
गोपालन विभाग

क्रमांक:- एफ.वी.3()निगो/गो.प.न.सु./मं.मु.ब.घो./2016 जयपुर, दिनांक:- 16 JAN 2017

निदेशक,
गोपालन विभाग,
राजस्थान जयपुर।

विषय:- पशु आहार कय के संबंध में।

संदर्भ:-परिपत्र क्रमांक एफ.वी.3()निगो/गो.प.न.सु./मं.मु.ब.घो./2016 दिनांक 23.11.2016

उपरोक्त विषयान्तर्गत गौ संरक्षण संवर्धन निधि नियम 2016 के अन्तर्गत जारी उक्त परिपत्र दिनांक 23.11.2016 के बिन्दु सं. 1 (IV) में पशु आहार यथासम्भव आर.सी.डी.एफ. या राजफेड से प्राथमिकता से कय करने बाबत निर्देश जारी किये गये थे। इस संबंध में कतिपय जिलों से प्राथमिकता के बिन्दु को स्पष्ट करने के बारे में जानकारी चाही जा रही है जिसके कम में स्पष्ट निर्देश निम्न प्रकार है:-

1. गौशालाओं द्वारा पशु आहार आर.सी.डी.एफ./राजफेड के वितरण केन्द्रों से ही कय किया जावे।
2. यदि आर.सी.डी.एफ./राजफेड के निकटवर्ती वितरण केन्द्रों पर पशु आहार उपलब्ध नहीं है तो अनुपलब्धता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर नजदीकी आर.सी.डी.एफ./राजफेड के वितरण केन्द्रों से ही कय किया जावे। आर.सी.डी.एफ./राजफेड के अलावा किसी भी अन्य संस्थानों से कय नहीं किया जावे।
3. गौशालाओं/कांजी हाऊस के प्रतिनिधियों के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के संदर्भ में परिपत्र दिनांक 23.11.2016 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप निर्धारित समय सीमा में संयुक्त भौतिक सत्यापन भी सुनिश्चित करावे।

(आर.डी. बरवा)

शासन उप सचिव

क्रमांक:- एफ.वी.3()निगो/गो.प.न.सु./मं.मु.ब.घो./2016

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, पशुपालन एवं गोपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

निदेशालय गोपालन राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- एफ.वी.3()निगो/गो.प.न.सु./मं.मु.ब.घो./2016/336-84 दिनांक:- 19/11/17

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. सम्स्त संभागीय अनिरीकृत निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान
2. सम्स्त जिला संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग राजस्थान
3. उपनिदेशक पशुपालन विभाग कुचामनसिटी
4. सम्स्त संभागीय प्रमारी अधिकारी निदेशालय गोपालन
5. लेखा शाखा

18/11/2017